

न्यायालय सहायक कलेक्टर पदेन उपखण्ड अधिकारी गंगापूर, जिला भीलवाड़ा (राज.)

बईजलास श्री विकास पंचोली (RAS) उपखण्ड अधिकारी

वादपत्र संख्या 92/2018

दायर तारीख 26/06/2018

अनवान

01. माधु पिता गोकल चारण निवासी भूतेला तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)  
.....वादी

बनाम

01. देवराज पिता गोकल चारण

02. भरतदान पिता गोकल चारण

सर्व निवासी भूतेला तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

03. तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापूर जिला भीलवाड़ा।

..... प्रतिवादीगण

उपस्थित :- श्री मनीष दाधिच अधिवक्ता वादीगण

श्री ..... अधिवक्ता प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राज0 का0 अधिनियम

:- निर्णय :-

दिनांक :- 25/11/2019


संक्षेप मे वाद पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वादी का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाद नियमित सुनवाई दिनांक 19.07.2019 को प्राथमिक डिक्री किया जाकर ग्राम भूतेला पटवार हल्का चावण्डिया स्थित आराजी नं0 807 रकबा 0.18हे0 809 रकबा 0.22हे0 813 रकबा 0.09हे0 822 रकबा 0.18हे0 823 रकबा 0.20हे0 कुल कित्ता 5 कुल रकबा 0.87हे0 भूमि का विभाजन पक्षकारान की उपस्थिति में प्रस्ताव तैयार करने के आदेश दिये जाकर प्राथमिक डिक्री की पालना में भूमि विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार सहाड़ा से तलब किया गया। तहसीलदार सहाड़ा ने अपने पत्रांक/पी0डी0/2019/199 दिनांक 25.11.2019 को प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया गया।

ग्राम भूतेला पटवार हल्का चावण्डिया स्थित आराजी नं0 807 रकबा 0.18हे0 809 रकबा 0.22हे0 813 रकबा 0.09हे0 822 रकबा 0.18हे0 823 रकबा 0.20हे0 कुल कित्ता 5 कुल रकबा 0.87हे0 भूमि का ही विभाजन चाहने से तहसीलदार द्वारा निम्नानुसार प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया गया जिसे अधिवक्ता वादी द्वारा स्वीकार है।

अतः वादगण पत्र वादी अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर निम्नांकित भूमि उनके नाम के आगे अंकित खातेदारान के नाम राजस्व अभिलेखो में पृथक-पृथक अभिलिखित किये जाने के आदेश दिये जाते है।




.....02

  
सहायक कलेक्टर पदेन  
उपखण्ड अधिकारी  
गंगापूर जिला भीलवाड़ा

// 02 //

क्र. सं.	खातेदार का नाम	ग्राम	आराजी नम्बर	रकबा (हे०)
1	2	3	4	5
1	माधु पिता गोकल चारण सा० देह खातेदार	भूतेला	807	0.1800
			809 / 2	0.0100
			813 / 1	0.0450
			823	0.2000
	कुल योग	4	0.4350	
2	देवराज पिता गोकल चारण 1/2 भरतदान पिता देवराज चारण सा० देह खातेदार	भूतेला	809 / 1	0.2100
			813 / 2	0.0450
			822	0.1800
			कुल योग	3


उक्तानुसार अन्तिम डिक्री जारी की जाती है। खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना - अपना वहन करे।

  
(विकास पंचोली)

सहायक कलक्टर पदेन  
उपखण्ड अधिकारी पदेन  
गंगोपुर जिला भीलवाड़ा  
गंगोपुर जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 25/11/2019 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



  
सहायक कलक्टर पदेन  
उपखण्ड अधिकारी  
गंगोपुर जिला भीलवाड़ा